फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री पूनाराम पुत्र श्री लकमाराम निवासी साजाला फली मु.पो. भूला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 49 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.04.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक आवेदन दिनांक 16.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूला ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी शराब की दुकान की जमीन कृषि भूमि है या वाणिज्यिक भूमि है, इसकी सत्यापित प्रति तथा अनुसूचित क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान बनाकर व्यापार कार्य करना, शराब की दुकान चलाना आदि कानूनी रूप से वैध हो तो यह किस नियम के तहत कर सकते है, उसकी सत्यापित प्रति तथा अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई बाहरी व्यक्ति व्यापार कार्य शराब की दुकान चलाना आदि कार्य कर सकता है या कोई बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि पर लीज, एग्रीमेन्ट स्टाम्प पेपर पर लिखकर व्यापार कर सकता है तो वह किस नियम के तहत आता है, उसकी सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक आवेदन दिनांक 16.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूला ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी शराब की दुकान की जमीन कृषि भूमि है या वाणिज्यिक भूमि है, इसकी सत्यापित प्रति तथा अनुसूचित क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान बनाकर व्यापार कार्य करना, शराब की दुकान चलाना आदि कानूनी रूप से वैध हो तो यह किस नियम के तहत कर सकते है, उसकी सत्यापित प्रति तथा अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई बाहरी व्यक्ति व्यापार कार्य शराब की दुकान चलाना आदि कार्य कर सकता है या कोई बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि पर लीज, एग्रीमेन्ट स्टाम्प पेपर पर लिखकर व्यापार कर सकता है तो वह किस नियम के तहत आता है, उसकी सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही से सम्बन्धित होने से रेस्पोडेन्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकर्ड/2026/95 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (रोहिताश्व सिंह तोमर) **जिला कलक्टर, सिरोही**	